

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: 358 / स.सा.प्र.वि. / 2020

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/07/2020

प्रति,

1. समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,
2. समस्त संभागायुक्त,
3. समस्त कलेक्टर,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,

**विषय:-** कोरोना नियत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेशों से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में संशोधित निर्देश।

**संदर्भ:-** सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक 357 / स.सा.प्र.वि. / 2020 दिनांक 18/07/2020

—00—

शासकीय कार्यालयों के संचालन के विषय में संदर्भित आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं किया जायेगा किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल शासकीय कार्यालय/अधिकारी – कर्मचारी तथा विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय/अधिकारी – कर्मचारी जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेंगी। पंजीयन कार्यालयों के संचालन हेतु अनुमति होगी जिसके लिए वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

2/ यह निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम/मंडल/आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाइयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा।

3/ अधिकारी – कर्मचारी को घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फ्राम होम) एवं सदैव मोबाईल/टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा अत्यंत आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाये। आवश्यक नस्तीयों/डाक के लाने-लेजाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

4/ शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देशों को सर्वसम्बधितों को सूचित कर पालन सुनिश्चित किया जाये।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
4. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
8. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
9. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
10. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
11. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
12. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
13. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
14. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*[Signature]*  
 सचिव,  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 सामान्य प्रशासन विभाग